



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222254  
CG-DL-E-06102020-222254

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3075]  
No. 3075]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3454(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 247(अ.), दिनांक 27 जनवरी, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले के कोथामंगलम तालुक के अक्षांश 10°6'25.572"उ, 10°9'7.607"उ, 10°8'28.808"उ और 10°7'25.404"उ से देशांतर 76°42'39.847"पू, 76°44'16.179"पू, 76°40'17.979"पू और 76°45'43.439"पू के बीच स्थित है। क्षेत्र पहले मालायात्तूर संभाग के अधीन कट्टमपुझा श्रेणी के कट्टमपुझा खंड का भाग था और अब ईडुक्की वन्यजीव संभाग के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, प्राकृतिक और प्राणिविज्ञान के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, पेरियार नदी के उत्तरी तट पर स्थित 25.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को केरल सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 35743/एफएम3/एडी दिनांक 27-08-1983 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य केरल में पहला पक्षी अभयारण्य है और यह वनस्पति और जीवजंतु की बृहत् विविधता के साथ प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग है। अभयारण्य को सबसे समृद्ध पक्षी अभयारण्य में से एक माना जाता है। जिसमें पक्षी प्रजातियों की लगभग 284 संख्या अभिलिखित की गई है। अभयारण्य में दुर्लभ प्रजातियों जैसे किंगफिश, केयलोन फ्रागमाउथ, क्रिमसोन-थ्रोटेड बारबेट, बी-ईटर, सनबर्ड, शिक्रे, फडरय ब्लू बर्ड, ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल, ब्लैक विंगेट काइट, नाइट बगुला, ग्रे बगुला, मालाबार ट्रोगोन, शमा और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल दिखाई देती है। थाट्टेक्कड पश्चिमी घाट की तलहटी में है और एक भाग पर मालायत्तूर, शोलायर, परम्बिकुलम पर्वत श्रृंखलाओं से युक्त बड़ी पारिस्थितिकी ईकाई का भाग है और दूसरी तरफ पर मुन्नार, एराविकुलम और चिन्नार हैं जो कि सदाहरित से झाड़ी वनों तक विविध वनस्पति प्रकारों के लिए उपयुक्त स्थान है जो पक्षियों को उनके मौसमी प्रवास में समर्थ बनाते हैं,

और, पौधों की कुल 728 प्रजातियों का संबंध 109 परिवारों से (दक्षिणी पश्चिमी घाट की 125 प्रजातियां स्थानिक हैं और केरल में सिर्फ 4 पाई जाती हैं), तितलियों की 222 प्रजातियां (पश्चिमी घाट में 15 प्रजातियां स्थानिक हैं), मछलियों की 52 प्रजातियां जो कि अभयारण्य में स्थानिकता (पश्चिमी घाट की 23 स्थानिक है और केरल में 4 स्थानिक हैं) में 50%, स्तनधारियों की 39 प्रजातियां (पश्चिमी घाट में स्थानिक हैं), सरीसृपों की 36 प्रजातियां, उभयचरों की 17 प्रजातियां (पश्चिमी घाट में 11 स्थानिक हैं) पाई जाती हैं;

और, अभयारण्य की मुख्य वनस्पति *गोनिओथालामस विघटी*, *स्टेफनिया विघटी*, *होपिया* परविफ्लोरा, पटोंटोगा अलाटा, *इलेओकेरपस मुनरोनी*, *इम्पातिइंस लेसुरा*, *दुस्पीलुम बेड्डोमि*, *इयनयमुस सेरॉटिफोलिया*, *अल्लोफयलुस रहीडी*, *सेमेकारपुस ट्रावांकोरिका*, *सीजियम ग्राडनेरी*, *केरोपेगिया मकुलाटा*, *स्ट्र्यचोनोस वांकपरूकि*, *स्ट्रीगा अंगस्ट्रोफोलिया*, *गयमनोस्टचयम लतिफोलियम* आदि है;

और, अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण जीवजंतु तवांगु (लोरीस ट्रडीगराडुस), बाघ (*पैंथेरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमस*), पिसूरी (*ट्रागुलुस मेमिन्ना*), भारतीय साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), स्पिंग डोरमोउस (*पलाटाकंथोमयस लासिउरुस*), लघु पुच्छ वानर (*मकाका रदियता*), बनबिलार (*फेलिस चाउस*), छोटा भारतीय सिवेट (*विवेरिकुला इंडिका*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), मालाबार बृहत् गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), जंगली स्ट्रीपेड गिलहरी (*फुनाम्बुलुस ट्रीस्टरीअटुस*), श्री स्ट्रीपेड पालम गिलहरी (*फुनाम्बुलुस पालमारूम*), छोटा ट्रावकोरे फ्लाइंग गिलहरी (*पेटिनोमयस फुस्कोकापिल्लुस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), भारतीय बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), रूड्रेय नेवला (*हेरपेस्टेस स्मिथी*), ब्राउन नेवला (*हेरपेस्टेस फुस्कस*), स्ट्रीपे - नेक्केड नेवला (*हेरपेस्टेस विट्टिकोल्लिस*), ब्लैक नेप्पेड खरगोश (*लेपुस निगरिकोल्लिस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), टोडुय बिल्ली (*पाराडोक्सरुस हेरमाफरोडेटेस*), सामान्य नेवला (*हर्पस्टेस एडवर्डसी*), भारतीय फ्लाइंग लोमडी (*पटेरोपुस गिगाटेउस*), भारतीय फलसे वाम्पिरे (*मेगाडेरमा लयरा*), शॉर्ट नोजड फ्रूट बेत (*कयनापटेरुस स्फिनिकस*), भारतीय फिइलेड माउस (*मुस ब्रुडगा*), भारतीय मोले-रेट (*बंडीकूटा*

बेंगालेंसिस), बंडीकूट रेट (बांडिकूटा इंडिका), भारतीय बुश रेट (गोलुंडा इल्लीओटी), सामान्य हाउस रेट (रट्टुसा रट्टुसा), हाउस माउस (मुस मुस्कलुस), ब्राउन रेट (रट्टुस नोरवेगिकस), ग्रेट पूर्वी होर्सशॉय बेत (रहीनोलाफुस लुकटुस), भारतीय पिपिस्टेल्ले (पिपिसटरेल्लुस कोरोमांड्रा), आदि हैं;

और, थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य से सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों जैसे भारतीय पोंड टेरॉपिन (मेलानोचेलयस टरीजुगा), टरावांकोरे टोरटोइसे (इंडोटेस्टुडो फोरस्टेनी), दक्षिणी हाउस गेक्को (हेमिदाकचलुस फेरेनाटस), बारक गेक्को (हेमिदाकचलुस लेस्चेनाउलटिया), सामान्य शिंक (मबुया करीनाटा), बरोंजा गल्लास शिंक (मबुया माकुलारिया), जेरडोस सांप इये शांप (ओफिसापस जेरडोनी), सलेंडर हील्ल शिंक (स्फेनोमोरफुस डुस्सुमिइरी), इल्लीओटे छिपकली (कलोटेस इल्लीओटी), वन कलोटेस (कलोटेस रोउक्कि), रॉक छिपकली (पसाम्मोफिलुस डोरसालिस), दक्षिण भारतीय फ्लांग छिपकली (डराको डुस्सुमिइरी), भारतीय मानीटर छिपकली (वारानस बेंगालेंसिस), भारतीय चामेलेओन (चेमाइलेओ जेयलानिकस), केयलोन उरोपेलटीड (उरोपेलटीस केयलानिकस), सामान्य सैंड बोआ (इरयक्स कोनिकस), भारतीय पायथन (पायथन मोलुरुस), स्ट्रीपेड कैल बैक (अम्फिसमा स्टोलाटा), केयलोन बिल्ली सांप (बोइगा केयलोनेंसिस), फॉरिस्टेन बिल्ली सांप (बोइगा फॉरिस्टेनी), टरावांकोरे भेड़िया सांप (लयकोडोन टरावांकोरिस), चेक्केरेड कैल बैक (क्रोचरोपिस पिसकाटोर), कोबरा (नाजा नाजा), किंग कोबरा (ओफिओफागुस हन्नाह), रूसेल विपर (विपेरा रूसेल्ली), हुम्पनोसेड पिट विपेर (ह्यपनाले ह्यपनाले), मालाबार पिट विपेर (टरीमेरेसुरुस मालाबारिकस), छोटा इरेड टोड (डुट्टाफरयनुस मिक्कोटयम्पानुम), शॉट लेग्गेड मेंढक (इंदिराना बराचयटारसुस), छोटा हेडेड मेंढक (इंदिराना सेमिपाल्माटा), पर्पल मेंढक (नासिकाबाटराचुस सहयाडरेंसिस), अंगुइल्ला बेंगालेंसिस, अंगुइल्ला बिकोलोर, बारलिउस कनेरेंसिस, बारलिउस गाटेंसिस, सालमोफासिया बूपिस, डेवारिओ इक्वुइपिन्नाटस, रासबोरिया डेंडिया, टोर खुडरे, ओस्टेओबरामा बाकेरी, पुंटीउस पुंकाटस, गर्ग स्टेनोरह्यनचुस, गर्ग सुरेंडरानाथानी, वाल्लागो अट्टु, होराबागरूस बराचयसोमा, इटरोपलुस माकुलाटस, तिलापिया मोस्साम्बिका, चान्ना स्टेरिआटा, टेटराओडोन ट्रावांकोरिकस, आदि को अभिलिखित किया गया है;

और, थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य से मुख्य पक्षी जीव छोटा ग्रेबे (पोडिकेपस रूफिकोल्लिस), लार्ज कॉमॉरेंट (फेलाक्रोकारैक्स काबॉ), छोटा ग्रीन बगुला (अरडेओला स्ट्रीअतुम), छोटा इग्रेट (इग्रेटा इंटरमीडिया), गार्गेनी (अनास क्रेक्यूडुला), लेस्सेर व्हिसलिंग टीले (डेंड्रोसीग्रा जावानिका), क्रेस्टेड गोशहावक (एकिपिटर टरीविगतुस), क्रेस्टेड सेरपेंट ईगल (स्पिलोरनिस चैला), ओसपरेय (पांडिओन हालीइतुस), पेरीगरीने फाल्कन (फाल्को पेरेग्रीनस), रेड हेडेड मर्लिन (फाल्को चिक्केरा), केस्ट्रेल (फाल्को टिन्नुक्लुस), भारतीय केस्टरेल (फाल्को टिन्नुकुंकल ओबजुरगातुस), ट्रावनकोर रेड स्परफ्लो (गल्लोपेरडक्स स्पाडिकेया स्टेवारती), वाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन (अमौरॉर्निस फेनोयुरसस), ब्लैक विंगड स्टिल्ट (हिमांतोपस हिमांतोपस), सामान्य हावक कोयल (कुकुलुस वारीउस), कोयल (कुकुलुस मिक्करोपटेरुस), भारतीय बांडेड बाय कोयल (काकोमांटिस सोब्रेराटी), कोल्लारेड स्कोपेस उल्लू (ओतुस बाक्कामोइना), शॉर्ट इउरेड उल्लू (असिओ फलाम्मेउस), केयलोन फरोगमाउथ (बतराचहोस्टोमुस मोनिलिगेर), लांग टेल्लेड निघतजार (कापरीमुलगुस माकरोरुस), लार्ज ब्रोवथोरटेड स्पेनेटैल स्विफ्ट (चाइतुरा गिगाटेअ), मालाबार ट्रोगोन (हारपाकटेस फस्किअतुस), लेस्सेर पाइड किंगफिशर (केरयले रूडिस ट्रावांकोरेसिस), श्री टोइड किंगफिशर (केयक्स इरीथाकस इरीथाकस), ब्लू ब्रेअरडेड बी ईटर (नयकटयोरनिस अथेरटोनी), ब्रोअड बिल्लेड रोल्लेर (इयरयस्टोमुस ओरिइंटलिस), ग्रेट पाइड हॉर्नबिल (बुकेरोस बिकोरनिस), लार्ज ग्रीन बारबेत (मिगालाइमा जेयलानिका), गोल्डन बैक्केड श्री टोइड वूडपेक्केर (डिनोपियम जवानेन्से), हार्ट स्पोट्टेड वूडपेक्केर (हिमिकिरकस कोनेटेस), टइलोर बर्ड (ओरथोटोमुस सुटोरीउस), पाल्लास ग्रास्सेहोप्पेर वारब्लेर (लूकुस्टेल्ला केरथिओला), बोटेड वारब्लेर (हिप्पोलाइस कलिगाटा), लेस्सेर वाइट थोरोट (सयलविया कुरूका), टयटलेर लेफ वारब्लेर (फयल्लोस्कोपुस टयटलेरी), टिकेल्ल लेफ वारब्लेर (फयल्लोस्कोपुस अफिनिस), ब्लू हेडेड रॉक थ्रोस (मोनटिकोला किनकलोरहयंचुस), मालाबार व्हिस्टलिंग थ्रश (मॉटिकोला होर्सफिइलडी), वेलवेट फ्रॉटेड नुथाटच (सिट्टा फरॉटैलिस), केरला रॉक पिपिट

(अंधुस सिमिलेस ट्रावानकोरिइंसिस), पाडुयफिइलड पिपिट (अंधुस नोवेइसेलांडिस), वन वागटेल (मोटाकिल्ला इंडिका), ब्लू हेड्डेड यल्लो वागटेल (मोटाकिल्ला फलावा बेमा), टिक्केल्ल फ्लोवरपेकेर (डिकइउम इरयथरोरयंचूस), यल्लोव थोरोटेड स्पारोव(पेटरोनिया कंथोकोल्लिस), ट्रावांकोरे बाया (पलोकेउस फिलिप्पिनस), ब्लैक हेड्डेड मुनिया (लॉचुरा मालाका), सामान्य रोसेफिच (कार्पोडाकस एरिथ्रिनस), आदि को अभिलिखित किया गया है;

और, थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य की दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियां स्ट्रयचनोस वानपरूकि, गयमनास्टचयम लतिफोलियम, गरकिनिया विघटी, वाटेरा माकरोकारपा, मिक्कूलिया डेंटाटे, ब्लुमेया मेम्बरानांकेया, केरोपेगिया माकुलाटा, स्ट्रयचनोस वांपरूकि, अरगयरेइया डालटोनि, अरगयरेइया इंबरिकाटा, डीडयमोकारपुस फिसचेरी, गयमोस्टाचयम लतीफोलियम, पिपेर बारबेरी, बुल्बोफयल्लुम मायसोरेसे, किंगिडियम निवेउम, मुरदान्निया जेयलानिका, इरिओकाउलोने टरीलोबुम आदि हैं;

और, थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य संरक्षण शिक्षा, अनुसंधान और निगरानी के लिए क्षेत्र प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। इस पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग का केरल के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष अभयारण्य में राष्ट्रीय की बृहत् संख्या के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी यहां आते हैं। पारिस्थितिकी संसक्ति और विविधता को ध्यान में रखते हुए, थाट्टेक्कड ने केरल राज्य में संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में महत्त्व माना है। थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के उत्तरी भाग पर पेरियार नदी की सहायक नदी पर प्रस्तावित पॉयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना है;

और, थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के एर्नाकुलम जिला के थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एकरूप 1 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 28.444 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण उपाबंध-I की सारणी क और सारणी ख के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित प्रवर्तित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलस्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी ताकि इन क्षेत्रों के आस-पास ऐसी विकास गतिविधियों पर रोक लगे जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व- परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जिन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) शोर प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन शोर प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, सामान्य मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाइयां.- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।



(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

**(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

#### सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध होंगी। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की 1995 द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कारों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्में, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिःस्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिःस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिःस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायो-गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य (एम एल ए) कोथमंगलम	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केरल राज्य बिजली बोर्ड या केरल जल प्राधिकरण या केरल राज्य सिंचाई विभाग या केरल राज्य सरकार के प्रतिनिधि विभाग	सदस्य;
(v)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	प्रतिष्ठित संस्थान या केरल राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ केरल सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(vii)	सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(viii)	वन्यजीव वार्डन, इडुक्की वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव।

**6.विचारार्थ विषय:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[ फा. सं. 25/105/2015-ईएसजेड-आरई ]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

## उपाबंध- I

## क. केरल राज्य में थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण


दिशा	विवरण
उत्तर	पेरियार के साथ इडामालायर के संगम से, सीमा इडामालायर के साथ कुट्टमपुझायर के संगम के इडामालायर के दाएं तट के साथ पूर्व की ओर जाती है।
पूर्व	इडामालायर के साथ कुट्टमपुझायर के संगम से, सीमा कुट्टमपुझायर के दाएं तट के साथ दक्षिण की ओर जाती है और पुझामुदी के निकट संभाग सीमा काटती है।
दक्षिण	यहां से सीमा पश्चिम की ओर जाती है और पेरियार के साथ जुड़ती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा पेरियार के दाएं तट के साथ जाती है यह इडामालायर के साथ जुड़ती है।

## क. केरल राज्य में थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिंदु 5 (76°44'16.275" पू 10°9'40.346" उ), में कुट्टमपुझा नदी के बाएं तट से आरंभ होती है पोयमकुट्टी नदी के साथ इडामालायर के नजदीक बिंदु के उत्तर 1 किलोमीटर में मिलती है।
उत्तर पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बिंदु 7 (76°45'39.986" पू 10°8'40.293" उ) में उत्तर पूर्वी भाग में 1 किलोमीटर है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बिंदु 9 (76° 46' 12.139" पू 10° 7' 9.169" उ) में पूर्वी भाग में 1 किलोमीटर है।
दक्षिण पूर्व	दक्षिण पूर्वी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से बिंदु 11 (76° 44' 5.329" पू 10° 6' 25.696" उ) आरंभ होकर और बिंदु 13 (76° 42' 34.580" पू 10° 5' 52.874" उ) के दक्षिण की ओर जाती है।
दक्षिण	दक्षिणी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिंदु 13 (1076° 43' 26.699" पू 10° 6' 30.928" उ)से बिंदु16 (76° 40' 18.637" पू 10° 7' 49.059" उ)तक जाती है।
दक्षिण पश्चिम	दक्षिण पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदा जोन की सीमा 16 (76° 40' 18.637" पू 10° 7' 49.059" उ) से आरंभ होती है और बिंदु 18 (76° 39' 53.873" पू 10° 8' 51.602" उ) के पश्चिम की ओर जाती है।
पश्चिम	पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु 18 (76° 39' 53.873" पू 10° 8' 51.602" उ) से होते हुए बिंदु 1 (76° 40' 58.498" पू 10° 9' 6.927" उ) के उत्तर पश्चिम की ओर जाती है।
उत्तर पश्चिम	उत्तर पश्चिम भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिंदु 1(76° 40' 58.498" पू 10° 9' 6.927" उ) से बिंदु 5 (76° 44' 16.275" पू 10° 9' 40.346" उ) तक आरंभ होती है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल चित्र





भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट में मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध-III

## सारणी क : थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	मुख्य बिंदुओं की पहचान (मानचित्र से संबंधित)	मुख्य बिंदु की दिशा	देशांतर	अक्षांश
1	1	उत्तर	76° 40' 17.979" पू	10° 8' 28.808" उ
2	2	उत्तर पश्चिम	76° 41' 8.801" पू	10° 8' 35.131" उ
3	3	उत्तर पश्चिम	76° 41' 52.947" पू	10° 8' 37.618" उ
4	4	उत्तर पश्चिम	76° 42' 41.813" पू	10° 8' 50.440" उ
5	5	उत्तर पश्चिम	76° 43' 31.738" पू	10° 8' 46.866" उ
6	6	पश्चिम	76° 44' 16.179" पू	10° 9' 7.607" उ
7	7	उत्तर पूर्व	76° 44' 55.701" पू	10° 8' 50.241" उ
8	8	उत्तर पूर्व	76° 45' 8.027" पू	10° 8' 29.564" उ
9	9	उत्तर पूर्व	76° 45' 21.426" पू	10° 7' 57.014" उ
10	10	पूर्व	76° 45' 43.439" पू	10° 7' 25.404" उ
11	11	दक्षिण पूर्व	76° 45' 4.925" पू	10° 7' 20.195" उ
12	12	दक्षिण पूर्व	76° 44' 30.682" पू	10° 7' 16.504" उ
13	13	दक्षिण पूर्व	76° 43' 56.869" पू	10° 6' 58.253" उ
14	14	दक्षिण	76° 43' 3.697" पू	10° 6' 58.971" उ
15	15	दक्षिण पश्चिम	76° 42' 39.847" पू	10° 6' 25.572" उ
16	16	दक्षिण पश्चिम	76° 41' 58.065" पू	10° 6' 54.903" उ
17	17	पश्चिम	76° 41' 23.137" पू	10° 7' 29.640" उ
18	18	उत्तर पश्चिम	76° 40' 51.911" पू	10° 7' 58.149" उ

## सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	मुख्य बिंदुओं की पहचान (मानचित्र से संबंधित)	मुख्य बिंदु के अवस्थान/ दिशा	देशांतर(पू)	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)
1	1	उत्तर पश्चिम	76° 40' 58.498" पू	10° 9' 6.927" उ
2	2	उत्तर पश्चिम	76° 41' 28.979" पू	10° 9' 3.172" उ
3	3	उत्तर पश्चिम	76° 42' 12.781" पू	10° 9' 15.854" उ
4	4	उत्तर पश्चिम	76° 43' 16.428" पू	10° 9' 15.665" उ
5	5	पश्चिम	76° 44' 16.275" पू	10° 9' 40.346" उ
6	6	उत्तर पूर्व	76° 45' 10.267" पू	10° 9' 20.094" उ
7	7	उत्तर पूर्व	76° 45' 39.986" पू	10° 8' 40.293" उ

8	8	उत्तर पूर्व	76° 46' 5.607" पू	10° 7' 55.925" उ
9	9	पूर्व	76° 46' 12.139" पू	10° 7' 9.169" उ
10	10	दक्षिण पूर्व	76° 45' 4.369" पू	10° 6' 47.173" उ
11	11	दक्षिण पूर्व	76° 44' 5.329" पू	10° 6' 25.696" उ
12	12	दक्षिण पूर्व	76° 43' 26.699" पू	10° 6' 30.928" उ
13	13	दक्षिण	76° 42' 34.580" पू	10° 5' 52.874" उ
14	14	दक्षिण पश्चिम	76° 41' 44.171" पू	10° 6' 23.951" उ
15	15	दक्षिण पश्चिम	76° 40' 59.040" पू	10° 7' 7.454" उ
16	16	पश्चिम	76° 40' 18.637" पू	10° 7' 49.059" उ
17	17	उत्तर पश्चिम	76° 39' 47.323" पू	10° 8' 14.878" उ
18	18	उत्तर पश्चिम	76° 39' 53.873" पू	10° 8' 51.602" उ

## उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम नाम	ग्राम प्रकार	तालुक	भू-निर्देशांक
1	कूट्टमपुझा (आंशिक)	राजस्व ग्राम	कोथामंगलम	10° 9' 6.927" उ से 10° 6' 30.928" उ और 76° 40' 58.498" पू से 76° 43' 26.699" पू
2	केराम्पारा (आंशिक)	राजस्व ग्राम	कोथामंगलम	10° 5' 52.874" उ से 10° 7' 49.059" उ और 76° 42' 34.580" पू से 76° 40' 18.637" पू

## उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2020

**S.O. 3454(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 247 (E), dated 27th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS**, Thattekkad Bird Sanctuary falls between latitudes 10°6'25.572"N, 10°9'7.607"N, 10°8'28.808"N and 10°7'25.404"N to longitudes 76°42'39.847"E, 76°44'16.179"E, 76°40'17.979"E and 76°45'43.439"E is located in Kothamangalam Taluk of Ernakulam District in the Kerala State. The area was previously part of Kuttampuzha section of Kuttampuzha Range under Malayattoor Division and presently under Idukki Wildlife Division. Considering the ecological, faunal, floral, natural and zoological significance, a 25.16 square kilometres area lying on the northern bank of River Periyar was declared as a Bird Sanctuary by the Government of Kerala Notification No.35743/FM3/AD dated 27-08-1983;

**AND WHEREAS**, Thattekkad Bird Sanctuary is the first Bird Sanctuary in Kerala and is a heaven for nature lovers and bird watchers with a wide variety of flora and fauna. The Sanctuary is considered as one of the richest bird Sanctuary recorded about 284 number of bird species. Rare species like three toed forest Kingfisher, Ceylon frogmouth, crimson-throated Barbet, bee-eater, sunbird, shrike, fairy blue bird, grey headed fishing eagle, black winged kite, night heron, grey heron, Malabar trogon, shama and Malabar grey hornbill are seen in this Sanctuary. Thattekkad is on the foothills of the Western Ghats and is part of a large ecological unit comprising of Malayattoor, Sholayar, Parambikulam hill ranges on the one side and Munnar, Eravikulam and Chinnar on the other side which support diverse vegetation types from Evergreen to Scrub forests which enables the birds in their seasonal migration;

**AND WHEREAS**, a total of 728 species of plants belonging to 109 families (125 species are endemic to southern Western Ghats and 4 are found only in Kerala), 222 species of butterflies (15 species are endemic to Western Ghats), 52 species of fishes of which 50% have endemism (23 are endemic to Western Ghats and 4 are endemic to Kerala), 39 species of mammals (2 are endemic to Western Ghats), 36 species of reptiles, 17 species of amphibians (11 are endemic to Western Ghats) are found in the Sanctuary;

**AND WHEREAS**, major flora of the Sanctuary are *Goniothalamus wightii*, *Stephania wightii*, *Hopea parviflora*, *Pterygota alata*, *Eleocarpus munronii*, *Impatiens leptura*, *Duspxylum beddomii*, *Eunymus serratifolius*, *Allophylus rheedii*, *Semecarpus travancorica*, *Sysygium gardneri*, *Ceropegia maculate*, *Strychnos vanprukii*, *Striga angustifolia*, *Gymnostchyum latifolium*, etc.

**AND WHEREAS**, important fauna of the Sanctuary are slender loris (*Loris tardigradus*), tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), Indian elephant (*Elephas maximus*), mouse deer (*Moschola meminna*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), sloth bear (*Melursus ursinus*), spiny dormouse (*Platacanthomys lasiurus*), bonnet macaque (*Macaca radiate*), jungle cat (*Felis chaus*), small Indian civet (*Viverricula indica*), Indian wild dog (*Cuon alpines*), Indian giant squirrel (*Ratufa indica*), jungle striped squirrel (*Funambulus tristriatus*), three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*), small travancore flying squirrel (*Petinomys fuscocapillus*), spotted deer (*Axis axis*), sambar (*Cervus unicolor*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), ruddy mongoose (*Herpestes smithii*), brown mongoose (*Herpestes fuscus*), stripe - necked mongoose (*Herpestes vitticollis*), black aped hare (*Lepus nigricollis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), toddy cat (*Paradoxurus hermaphrodites*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), Indian flying fox (*Pteropus giganteus*), Indian false vampire (*Megaderma lyra*), short nosed fruit bat (*Cynopterus sphinx*), Indian field mouse (*Mus booduga*), Indian mole-rat (*Bandicota bengalensis*), bandicoot rat (*Bandicota indica*), Indian bush rat (*Golunda ellioti*), common house rat (*Rattus rattus*), house mouse (*Mus musculus*), brown rat (*Rattus norvegicus*), great eastern horseshoe bat (*Rhinolophus luctus*), Indian pipistrelle (*Pipistrellus coromandra*), etc;

**AND WHEREAS**, reptiles, amphibians and fishes recorded from the Thattekkad Bird Sanctuary are Indian pond terrapin (*Melanochelys trijuga*), Travancore tortoise (*Indotestudo forstenii*), southern house gecko (*Hemidactylus frenatus*), bark gecko (*Hemidactylus leschenaultia*), common skink (*Mabuya carinata*), bronze glass

skink (*Mabuya macularia*), Jerdons snake eye skink (*Ophisops jerdoni*), slender hill skink (*Sphenomorphus dussumieri*), Elliote's lizard (*Calotes ellioti*), forest calotes (*Calotes rouxii*), rock lizard (*Psammophilus dorsalis*), south Indian flying lizard (*Draco dussumieri*), Indian monitor lizard (*Varanus bengalensis*), Indian chameleon (*Chamaeleo zeylanicus*), Ceylon uropeltid (*Uropeltis ceylanicus*), common sand boa (*Eryx conicus*), Indian python (*Python molurus*), striped keel back (*Amphiesma stolata*), ceylon cat snake (*Boiga ceylonensis*), Foresten's cat snake (*Boiga forstenii*), Travancore wolf snake (*Lycodon travancoricus*), checkered keel back (*Xenochropis piscator*), cobra (*Naja naja*), king cobra (*Ophiophagus Hannah*), Russel's viper (*Vipera russelli*), humpnosed pit viper (*Hypnale hypnale*), Malabar pit viper (*Trimeresurus malabaricus*), small eared toad (*Duttaphrynus microtypanum*), cricket frog (*Limnonectes limnocharis*), Indian bull frog (*Hoplobatrachus tigerinus*), Indian green frog (*Euphlyetis hexadactylus*), Indian skipping frog (*Euphlyetis cyanophlyctis*), kerala warty frog (*Fejervarya keralensis*), short webbed frog (*Fejervarya brevipalmata*), false hour-glass tree frog (*Polypedatus pseudocruciger*), bronzed frog (*Sylvirana temporalis*), Beddome's leaping frog (*Indirana beddomii*), short legged frog (*Indirana brachytarsus*), small handed frog (*Indirana semipalmata*), purple frog (*Nasikabatrachus sahyadrensis*), *Anguilla bengalensis*, *Anguilla bicolor*, *Barilius canarensis*, *Barilius gatensis*, *Salmophasia boopis*, *Devario aequipinnatus*, *Rasbora dandia*, *Tor khudree*, *Osteobrama bakeri*, *Puntius punctatus*, *Garra stenorhynchus*, *Garra surendranathanii*, *Wallago attu*, *Horabagrus brachysoma*, *Etroplus maculatus*, *Tilapia mossambica*, *Channa striata*, *Tetraodon travancoricus*, etc.

**AND WHEREAS**, major avifauna recorded from the Thattekkad Bird Sanctuary are little grebe (*Podiceps ruficollis*), large cormorant (*Phalacrocorax carbo*), little green heron (*Ardeola striatus*), smaller egret (*Egretta intermedia*), garganey (*Anas querquedula*), lesser whistling teal (*Dendrocygna javanica*), crested goshawk (*Accipiter trivigatus*), crested serpent eagle (*Spilornis cheela*), osprey (*Pandion haliaetus*), peregrine falcon (*Falco peregrinus*), red headed merlin (*Falco chicquera*), kestrel (*Falco tinnunculus*), Indian kestrel (*Falco tinnunculus objurgatus*), Travancore red spurfowl (*Galloperdix spadicea stewarti*), white breasted waterhen (*Amaurornis phoenicurus*), black winged stilt (*Himantopus himantopus*), common hawk cuckoo (*Cuculus varius*), cuckoo (*Cuculus micropterus*), Indian banded bay cuckoo (*Cacomantis sonneratti*), collared scopes owl (*Otus bakkamoena*), short eared owl (*Asio flammeus*), Ceylon frogmouth (*Batrachostomus moniliger*), long tailed nightjar (*Caprimulgus macrurus*), large brownthroated spinetail swift (*Chaetura gigantea*), Malabar trogon (*Harpactes fasciatus*), lesser pied kingfisher (*Ceryle rudis travancoreensis*), three toed kingfisher (*Ceyx erithacus erithacus*), blue bearded bee eater (*Nyctornis athertoni*), broad billed roller (*Eurystomus orientalis*), great pied hornbill (*Buceros bicornis*), large green barbet (*Megalaima zeylanica*), golden backed three toed woodpecker (*Dinopium javanense*), heart spotted woodpecker (*Hemicircus canente*), tailor bird (*Orthotomus sutorius*), Pallas's grasshopper warbler (*Locustella certhiola*), booted warbler (*Hippolais caligata*), lesser white throat (*Sylvia curruca*), Tytler's leaf warbler (*Phylloscopus tytleri*), tickell's leaf warbler (*Phylloscopus affinis*), blue headed rock thrush (*Monticola cinclorhynchus*), Malabar whistling thrush (*Monticola horsfieldii*), velvet fronted nuthatch (*Sitta frontalis*), Kerala rock pipit (*Anthus similes travancoriensis*), paddyfield pipit (*Anthus novaeseelandiae*), forest wagtail (*Motacilla indica*), blue headed yellow wagtail (*Motacilla flava beema*), Tickell's flowerpecker (*Dicaeum erythrorhynchus*), yellow throated sparrow (*Petronia xanthocollis*), travancore baya (*Ploceus philippinus*), black headed munia (*Lonchura malaca*), common rosefinch (*Carpodacus erythrinus*), etc;

**AND WHEREAS**, rare, threatened and endangered species of the Thattekkad Bird Sanctuary are *Strychnos vanprukii*, *Gymnostachyum latifolium*, *Garcinia wightii*, *Vateria macrocarpa*, *Miquelia dentate*, *Blumea membranancea*, *Ceropegia maculate*, *Strychnos vanprukii*, *Argyreia daltonii*, *Argyreia imbricate*, *Didymocarpus fischeri*, *Gymnostachyum latifolium*, *Piper barberi*, *Bulbophyllum mysorense*, *Kingidium niveum*, *Murdannia zeylanica*, *Eriocaulon trilobum*, etc;

**AND WHEREAS**, Thattekkad Bird Sanctuary serves as a field laboratory for conservation education, research and monitoring. This bird watcher's paradise has an important position on the tourism map of Kerala. A large number of national as well as foreign tourists visit the sanctuary every year. Considering the ecological contiguity and diversity, Thattekkad assumes significance in the protected areas network in the State of Kerala. The proposed Pooyamkutty Hydroelectric project on the tributary of Periyarriver is on the northern side of Thattekkad Bird Sanctuary;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Thattekkad Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 kilometres uniform around the boundary of Thattekkad Bird Sanctuary, in Ernakulam District in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1 kilometres uniform around the boundary of Thattekkad Bird Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 28.444 square kilometres.
  - (2) The boundary description of Thattekkad Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Table A and Table B of **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Thattekkad Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
  - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Thattekkad Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
  - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj;
    - (xi) Kerala State Pollution Control Board; and
    - (xii) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
  - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
  - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
  - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.



- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Ernakulam	Chairman, ex officio
(ii)	Member of the Legislative Assembly (MLA) Kothamangalam	Member;
(iii)	District Panchayat President	Member;
(iv)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board or Kerala State Electricity Board or Kerala Water Authority or Kerala State Irrigation Dept or Kerala State Env't. Dept.	Member;
(v)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Govt. of Kerala	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by Govt. of Kerala	Member;
(vii)	Member State Biodiversity Board	Member;
(viii)	Wildlife Warden, Idukki Wildlife Division	Member-Secretary.

**Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
  - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/105/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

#### ANNEXURE- I

##### A. BOUNDARY DESCRIPTION OF THATTEKKAD BIRD SANCTUARY IN THE STATE KERALA

Direction	Details
North	From the confluence of Idamalayar with Periyar, the boundary precedes towards east along the right bank of Idamalayar upto the confluence of Kuttampuzhayar with Idamalayar.
East	From the confluence of Kuttampuzhayar with Idamalayar, the boundary proceeds towards south along the right bank of Kuttampuzhayar and cut division boundary near Puzhamudy
South	From there the boundary proceeds towards west and joins with Periyar
West	Then the boundary proceeds along right bank of Periyar till its joins with Idamalayar.


##### B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND THATTEKKAD BIRD SANCTUARY IN THE STATE KERALA

North	The boundary of the Eco-sensitive Zone starts from the left bank of Kuttampuzha River at point 5 (76°44'16.275" E 10°9'40.346" N), 1 kilometre North of the point close to Idamalayar river meets with Pooyamkutty river.
-------	---

<b>North East</b>	The extent of Eco-sensitive Zone is one Kilometre in the north eastern side. At point 7 (76°45'39.986" E 10°8'40.293" N)
<b>East</b>	The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometre in the eastern side. At point 9 (76° 46' 12.139" E 10° 7' 9.169" N)
<b>South east</b>	In the south eastern part, boundary of Eco-sensitive Zone starts from point 11 (76° 44' 5.329" E 10° 6' 25.696" N) and proceeds towards South to Point 13 (76° 42' 34.580" E 10° 5' 52.874" N)
<b>South</b>	In the southern part, boundary of Eco-sensitive Zone proceeds from point 13 (1076° 43' 26.699" E 10° 6' 30.928" N) to point 16 (76° 40' 18.637" E 10° 7' 49.059" N)
<b>South west</b>	In the south western part, boundary of Eco-sensitive Zone Starts from 16(76° 40' 18.637" E 10° 7' 49.059" N) and proceeds towards west to point 18 (76° 39' 53.873" E 10° 8' 51.602" N)
<b>West</b>	In the western part, Eco-sensitive Zone proceeds from point 18 (76° 39' 53.873" E 10° 8' 51.602" N) towards north west to point 1 (76° 40' 58.498" E 10° 9' 6.927" N)
<b>North west</b>	In the north west part, The boundary of Eco-sensitive Zone starts from point 1(76° 40' 58.498" E 10° 9' 6.927" N) to point 5 (76° 44' 16.275" E 10° 9' 40.346" N)


## ANNEXURE- IIA

## LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THATTEKKAD BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

GOOGLE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THATTEKKAD BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THATTEKKAD BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THATTEKKAD BIRD SANCTUARY

Sl. No	Identification of Prominent Points (Refer to the Map)	Direction of prominent point	Longitude	Latitude
1	1	North	76° 40' 17.979" E	10° 8' 28.808" N
2	2	North West	76° 41' 8.801" E	10° 8' 35.131" N
3	3	North West	76° 41' 52.947" E	10° 8' 37.618" N
4	4	North West	76° 42' 41.813" E	10° 8' 50.440" N

5	5	North West	76° 43' 31.738" E	10° 8' 46.866" N
6	6	West	76° 44' 16.179" E	10° 9' 7.607" N
7	7	North East	76° 44' 55.701" E	10° 8' 50.241" N
8	8	North East	76° 45' 8.027" E	10° 8' 29.564" N
9	9	North East	76° 45' 21.426" E	10° 7' 57.014" N
10	10	East	76° 45' 43.439" E	10° 7' 25.404" N
11	11	South East	76° 45' 4.925" E	10° 7' 20.195" N
12	12	South East	76° 44' 30.682" E	10° 7' 16.504" N
13	13	South East	76° 43' 56.869" E	10° 6' 58.253" N
14	14	South	76° 43' 3.697" E	10° 6' 58.971" N
15	15	South West	76° 42' 39.847" E	10° 6' 25.572" N
16	16	South West	76° 41' 58.065" E	10° 6' 54.903" N
17	17	West	76° 41' 23.137" E	10° 7' 29.640" N
18	18	North West	76° 40' 51.911" E	10° 7' 58.149" N

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

Sl. No	Identification of Prominent Points (Refer to the Map)	Location/ Direction of Prominent Point	Longitude (E)	Latitude (N) (DMS Format)
1	1	NorthWest	76° 40' 58.498" E	10° 9' 6.927" N
2	2	North West	76° 41' 28.979" E	10° 9' 3.172" N
3	3	North West	76° 42' 12.781" E	10° 9' 15.854" N
4	4	North West	76° 43' 16.428" E	10° 9' 15.665" N
5	5	West	76° 44' 16.275" E	10° 9' 40.346" N
6	6	North East	76° 45' 10.267" E	10° 9' 20.094" N
7	7	North East	76° 45' 39.986" E	10° 8' 40.293" N
8	8	North East	76° 46' 5.607" E	10° 7' 55.925" N
9	9	East	76° 46' 12.139" E	10° 7' 9.169" N
10	10	South East	76° 45' 4.369" E	10° 6' 47.173" N
11	11	South East	76° 44' 5.329" E	10° 6' 25.696" N
12	12	South East	76° 43' 26.699" E	10° 6' 30.928" N
13	13	South	76° 42' 34.580" E	10° 5' 52.874" N
14	14	South West	76° 41' 44.171" E	10° 6' 23.951" N
15	15	South West	76° 40' 59.040" E	10° 7' 7.454" N
16	16	West	76° 40' 18.637" E	10° 7' 49.059" N
17	17	North West	76° 39' 47.323" E	10° 8' 14.878" N
18	18	North West	76° 39' 53.873" E	10° 8' 51.602" N



## ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF THATTEKKAD BIRD SANCTUARY  
ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No	Village Name	Type of Village	Taluk	Geo-coordinates
1	Kuttampuzha (Partial)	Revenue Village	Kothamangalam	10° 9' 6.927" N to 10° 6' 30.928" N and 76° 40' 58.498" E to 76° 43' 26.699" E
2	Keerampara Village (Partial)	Revenue Village	Kothamangalam	10° 5' 52.874" N to 10° 7' 49.059" N and 76° 42' 34.580" E to 76° 40' 18.637" E

## ANNEXURE –V

**Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.